

## वधिकि माप वजिज्ञान (पैकेज्ड क्मोडटिज़) नयिम 2011

उपभोक्ता मामले वभिाग ने [इलेक्ट्रॉनिकि उद्योगों](#) के लयि अनुपालन बोझ को क्म करने और इनके व्वापार को **सुगम बनाने हेतु** [वधिकि माप वजिज्ञान \(पैकेज्ड क्मोडटिज़\) नयिम 2011](#) में संशोधन कयि है ।

- इससे पहले **लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड क्मोडटिज़), नयिम 2011** के नयिम 5 को उपभोक्ताओं के हतियों की रक्षा के लयि छोड़ दयि गयि थि ।
  - नयिम 5 वभिनिन प्रकर की वस्तुओं के पैक के आकार को नरिधरति करते हुए अनुसूची II को परभिषति करतल है ।

### संशोधन:

- इलेक्ट्रॉनिकि उत्पादों को एक वरष की अवधिके लयि **क्यूआर (त्वरति प्रतकिरयि) कोड के माध्यम से कुछ अनविर्य घोषणाओं को घोषति (यदि पैकेज में ही घोषति नहीं कयि गयि है) करने की अनुमतल देतल है ।**
  - वकिल्प एक साल के लयि दयि गयि है क्यूंकि सरकर पयलट आधार पर पहली बार प्रौद्योगकि कल उपयोग करने की कोशलि कर रही है और प्रतकिरयि के आधार पर इसे बढाने कल फैसलल करेगी ।
- हललॉक उद्योग को पैकेज पर ही अधकितम खुदरल मूल्य (MRP), फोन नंबर और ई-मेल पतल जैसे अनविर्य वविरण घोषति करने होंगे ।
  - क्यूआर कोड के माध्यम से अतरिकित अनविर्य घोषणारूँ जैसे नरिमतल कल पतल, वस्तु कल सामान्य नलम, वस्तु कल आकार और आयलम व गुरलहक सेवा की अनुमतल है ।
- इससे पहले, इलेक्ट्रॉनिकि उत्पादों सहति सभि पूर्व-पैक वस्तुओं के पैकेज पर लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड क्मोडटिज़), नयिम 2011 के अनुसार सभि अनविर्य घोषणाओं को घोषति करनल अवश्यक है ।

### वधिकि माप वजिज्ञान (पैकेज्ड क्मोडटिज़) नयिम 2011:

- यह भारत में पहले से पैक की गई वस्तुओं को नयितरति करतल है और अन्य बलतों के सलथ-सलथ ऐसी वस्तुओं की बकिरी से पहले कुछलेबललि अवश्यकतलओं को अनविर्य करतल है ।
- कलनूनी मलप वजिज्ञान अधनियिम, 2009 कल मुख्य उद्देश्य वज्जन और उलयों के मलनकों को स्थापति करनल तथल ललगू करनल, वज्जन, उलयों, अन्य सामलनों में व्वापार व वलणज्य को वनियिमति करनल है जो वज्जन, मलप यल संख्या और कसि भी अन्य मलमले से जुड़े हुए हैं, जो बेचे यल वतितरति कयि जलते हैं ।
  - अधनियिम के अनुसार, **केंद्र सरकर अंतर-रलज्यीय व्वापार और वलणज्य से संबंधति करतव्यों कल पलन करने के लयि** कलनूनी मलप वजिज्ञान के नदिशक की नयिकृत्कि कर सकती है ।
  - रलज्य सरकर अंतररलज्यीय व्वापार और वलणज्य से संबंधति करतव्यों कल पलन करने के लयि कलनूनी मलप वजिज्ञान नयितरक नयिकृत् कर सकती है ।
- संबंधति पहल:
  - [उपभोक्ता संरकषण अधनियिम, 2019](#)
  - [खलदय सुरकषल और मलनक \(लेबललि एवं परदरशन\) वनियिम मसौदल](#)
  - [उपभोक्ता कलयलण कोष](#)
  - [केंद्रीय उपभोक्ता संरकषण परषिद](#)
  - [उपभोक्ता संरकषण नयिम, 2021](#)
  - [उपभोक्ता संरकषण \(ई-कॉमरस\) नयिम, 2020](#)
  - [रलषट्रीय उपभोक्ता दविस](#)

सुरत: पी.आई.बी.

